न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 56/2021/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 9.11.2021
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. कन्हैयालाल आ0 देवीलाल जाति काछी (माली) निवासी ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी।

...अपीलांट

बनाम

1. बाला आत्मज नाथूलाल जाति काछी निवासी ग्राम भोपतपुरा तह0 तालेडा जिला बूंदी–राज0।
2. महावीर आ0 नाथूलाल जाति काछी निवासी ग्राम भोपतपुरा तह0 तालेडा जिला बूंदी –राज0।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बूंदी जिला बूंदी–राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक–अपीलांट
श्री सुरेश वैष्णव अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2

::निर्णय::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सं0 159/अपील/2014 उनवान कन्हैयालाल बनाम बाला आदि मे पारित निर्णय दिनांक 5.3.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी द्वारा नाथूलाल आ0 गोरीराम कौम काछी को प्रदत्त खातेदारी अधिकार के नामा0 संख्या 47 दिनांक 15.3.1982 ग्राम भोपतपुरा से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी कन्हैयालाल द्वारा प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 5.3.2019 को मियाद बाहर होने से खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि गई कि ख0 नं0 307 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके पुराने नम्बर 396 मिन है। उक्त भूमि किस्म चरागाह है। उक्त भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि होने से किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते। उक्त बिन्दूओ पर गौर किये बिना नामान्तरकरण रेस्पो0 1 ता 3 के पिता नाथूलाल के नाम खोल दिया जो विधि अनुकूल नही है। भूमि चारागाह होने से आवंटन नही की जा सकती है इसलिये अति0 जिला कलक्टर (उप0) चम्बल कमांड बूदी का आदेश दिनांक 22.1.1976 भी कानूनी प्रावधानो के आधार पर प्रभावशून्य होने से उक्त आदेश के आधार पर नामा0 नही खोला जा सकता। किस्म परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की कोई अनुमति प्राप्त नही की ऐसी स्थिति मे चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तित किये बिना आवंटन गैर कानूनी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को अवधि बाधित मानते हुये आलौच्य निर्णय से खारिज कर दिया गया जबकि

अति. स. आयुक्त

वैधानिक प्रावधानो के अनुसार यदि किसी प्रकरण मे मेरिट अच्छा होतो प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाये बिना सरसरी तौर पर कानून के विपरीत जाकर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर अपील का निर्णय हो जाने की जानकारी होने पर दिनांक 11.10.21 को नकल प्राप्त होने अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैधानिक है ऐसे अवैध एंव प्रभावशून्य आदेशो पर समयावधि के प्रावधान लागू नही होते है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुंसार कोविड–19 के दौरान पारित किये गये निर्णयो पर अवधि बाधित आदेशो को समयावधि मे माना गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.3.2019 व नामा0 सं0 47 दिनांक 15.3.82 निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय का आलौच्य निर्णय 5.3.2019 एंव नामा0 सं0 47 निरस्त करने का अनुरोध करते हुये प्रकरण मे आरआरडी 1992 पेज 496, आरआरडी 1981 पेज 662, आरआरटी2001(2) पेज 1159, आरआरटी 2011(1) पेज 219, आआरटी2014–15 पेज 513 आरआरडी 1992 पेज 17 आरआरटी 2002(1)पेज 648, आरआरटी2016 पेज 1378 आरआरटी2016 (1) पेज 767 आरआरटी (1) 2018 पेज 601 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान अभिषक रेस्पो0 क्रम–1 लागायत 3 ने बहस मे जाहिर किया कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश नही की गई ऐसी स्थिति मे चलने योग्य नही थी। जिस आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई थी वह आदेश 15.3.1982 का है जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील लगभग 32 वर्ष बाद पेश की गई थी जो स्वतः ही अवधि बाधित थी। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे भी यह अंकित नही किया कि उसे उक्त आदेश की जानकारी कब, कहा जिसके माध्यम से एंव किस प्रकार हुई। विलम्ब का कोई विश्वसनीय कारण नही बताया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय अपील का गुणावगुण पर निर्णय किये बिना ही अपील को अवधि बाधित मानकर आलौच्य निर्णय से खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलौच्य निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रसतुत अपील अवधि बाधित है। डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णत करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायालय हाजा मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील का गुणावगुण पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार का ध्यानपूर्वक मनन किया। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 5.3.2019 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नामा0 सं0 47 दिनांक 15.3.1982 की अपील अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 18.9.2014 को पेश की गई जो लगभग 32 वर्ष पेश की गई थी जो प्रथम दृष्टया ही अवधि बाधित थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त आशय की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे अपीलार्थी द्वारा यह कही अंकित नही किया कि अपीलाधीन नामा0 सं0 47 की जानकारी कब, एंव किस प्रकार हुई। जबकि कानूनन विलम्ब का कारण दिन प्रतिदिन सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र धारा 5 के अवलोकन से यही प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा 32 वर्ष से भी अधिक समय

अति. आयुक्त

बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत की गई अपील के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त व न्यायोचित कारण नही है। ऐसी स्थिति मे युक्तियुक्त एंव स्पष्ट कारण के अभाव मे डिले कन्डोन किये जाना का कोई न्यायोचित आधार नही होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया है तथा तदानुसार अपील मियाँद बाहर होने से आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 5.3. 2019 से अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की है। अतः हमारे विनम्र मत अनुसार हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरडी 1992 पेज 496, आरआरडी 1981 पेज 662, आरआरटी2001(2) पेज 1159, आरआरटी 2011(1) पेज 219, आआरटी2014–15 पेज 513 आरआरडी 1992 पेज 17 आरआरटी 2002(1)पेज 648, आरआरटी2016 पेज 1378 आरआरटी2016 (1) पेज 767 आरआरटी (1) 2018 पेज 601 चस्पा नही होती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही पाते है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा